न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 22 / 20 **वर्ष 2020**

जीसीएम संख्या :–2020 / 00175

बउनवानीः– 1. महावीर प्रसाद पुत्र माधोलाल माली निवासी, चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र भवंर लाल माली निवासी चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ,ग्रा.प.चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व पटटा / पत्रावली संख्या 1532 दिनांक 20.9.2017 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अजय शेखर दवे — वकील प्रार्थीगण

2. श्री सुधीर कुमार जैन — वकील अप्रार्थी–1

–: निर्णय :– **दिनांक 07.12..2021**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा जारी पटटा संख्या 22 पत्रावली संख्या 1532 दिनांक 20.9.201 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि कस्बा चौथ का बरवाडा में उभयपक्षों का एक पैतृक मकान है जिसमे दोनो पक्ष का आधा–आधा हिस्सा है विपक्षी ने उक्त साझे के मकान को अपना बताते हुए ग्राम पंचायत से पत्रावली संख्या 458 दिनांक 20.2.2004 द्वारा पटटा बनाया जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.11.2005 को निरस्त करते हुए प्रकरण को तीन बिन्दुओं (मौका रिपोर्ट, सम्पत्ति का मालिकाना हक के सबूत तथा भाईयों की सहमति)की पालना करने के निर्देश के साथ ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को रिमाण्ड किया जिस पर ग्राम पंचायत ने उक्त निर्णय को नजर अंदाज कर दुबारा 20.9.2017 को विपक्षी के पक्ष में पटटा बनाने का निर्णय किया जिसे पुनः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.9.2015 पत्रावली संख्या 7 / 12 द्वारा ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दो बार दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर पुनः 20.9.2017 को विपक्षी के पक्ष मे पत्रावली संख्या 1532 द्वारा पुराने पटटे का नवीनीकरण करने का आलौच्य निर्णय पारित कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी पेश की गयी है। यह तर्क भी दिया कि जिस आबादी भूमि का पटटा विपक्षी के पक्ष में बनाया है वह उपभयपक्षों का पैतृक मकान है ग्राम पंचायत ने भूमि बैचाने के नियमो की अवहेलना करते हुए विपक्षी के पक्ष मे गलत फैसल किया है क्योकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा जिन बिन्दुओं पर पत्रावली को रिमाण्ड किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य निर्णय मे उन बिन्दुओं के बारे मे एक भी शब्द नही [illegible] एवं आपसी मिलीभगत के चलते ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय मे न्याया[illegible] अंकित नही किये है। यह भी तर्क दिया कि आलौच्य निर्णय मे ग्राम पंचायत [illegible] विक्रय के किसी भी प्रावधान की पालना नही की एवं विपक्षी से मिलीभगत के चलते 7.7.2017 को दिये गये आवेदन [illegible] दिन आपत्ति नोटिस जारी किया जाना ग्राम पंचायत का विप[illegible] के साथ मिलीभगत [illegible]ता है। उक्त प्रकरण मे मौका रिपोर्ट व साक्ष्य में भी औपचारिकता निभाई है यही वजह है कि दो बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

स्पष्ट मौका रिपोर्ट देने के निर्देशो के बावजूद ग्राम पंचायत के 18.9.2017 को नो लाईन की मौका रिपोर्ट लगा कर निर्णय पारित कर दिया जो सही नही था। इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

: विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से के पुस्तैनी मकान का पटटा बनवाया गया है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा कौनसी भूल की है अंकित नही किया है। प्रार्थी द्वारा पटटा बनवाने बाबत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.8.2017 को पत्रावली पेश हुई जिसपर मौका हेतु रिपोर्ट वार्ड पंच श्री अजीम कुरेशी, श्री मुकेश वर्मा एवं विकास तिलोट को नियुक्त किये जाने पर पत्रावली पटटा संख्या 458 दिनांक 20.5.2004 से संबंधित पुस्तैनी मकान मौका देखा गया । प्रार्थी शंकर लाल द्वारा पटटा नवीनीकरण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड का वार्ड पंचो की टीम द्वारा देखा जाने पर नक्शा अनुसार सही पाये जाने की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2017 को ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत की गयी इसके उपरान्त दिनांक 2100/–रू विकास शुल्क एवं 200/–रू पटटा शुल्क जमा करते हुए दिनांक 20.9.2017 को नियमानुसार मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी किया है जिसके किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी के पक्ष मे पत्रावली संख्या 1532 पर पटटा संख्या 22 दिनांक 20.9.2017 जारी करते समय अतिरक्त जिला कलेक्टर न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 25.11.2005 एवं 15.9.2015 मे दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए कार्यवाही की गयी हो मूल मिसल की आदेशिका से साबित नही होता है। उक्त पटटा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा केवल मौका रिपोर्ट ही तलब की गयी है शेष उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज तथा प्रभावित पक्षकारान की ओर से सहमति पत्र इत्यादि पेश नही किया है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त पटटा जारी करते समय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित पूर्व निर्णयो की पालना नही की जाने के कारण उक्त पटटा विधिसम्मत होना प्रतीत नही होता है। जिसको निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी पत्रावली संख्या 1532 पर जारी पटटा संख्या 22 दिनांक 20.9.2017) को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं विवादित पुश्तैनी मकान की मौका रिपोर्ट एवं शेष उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज तथा भाईयो की ओर से सहमति पत्र इत्यादि लिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही करे। पत्रा[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:33 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर